


प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किय गया । अप्रार्थी की ओर से पेराकाराज ने जवाब पेश किया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


### आदेश

रोही ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नंबर 535 रकबा 5.30 हैक्टेयर खसरा नंबर 541 रकबा 3.55 हैक्टेयर खसरा नंबर 731 रकबा 6.65 हैक्टेयर खसरा नंबर 1529 रकबा 5.56 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी के अशुद्ध नाम रतनाराम पुत्र धन्नाराम की जगह प्रार्थी का सही नाम रतनलाल पुत्र धन्नाराम शुद्ध करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।



  
उपख (द्वितीय) अधिकारी  
जमीन सहायक अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ

